



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]
No. 197]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 1996/आषाढ़ 5, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 1996/ASADHA 5, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1996

(आयकर)

सा.का.नि. 256(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और इस्राइल राज्य की सरकार के बीच आय और पूंजी पर करों की बाबत दोहरे कराधान के परिहार और राजवितीय अपवर्चन को रोकने के लिए, इससे उपबाद्ध अभिसमय दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के अनुसार उक्त अभिसमय को प्रवर्तन में लाने के लिए अपनी-अपनी विधियों के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् 15 मई, 1996 को प्रवृत्त हो गया है।

अतः केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबंध

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

और

इस्राइल राज्य

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और इस्राइल राज्य की सरकार

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक कार्य क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्रधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों तथा किसी संविदाकारी राज्य की ओर से पूंजी पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा चाहे ये किसी भी तरीके से लगाए जाएं।

2. चल अथवा अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर करों, उद्यमों द्वारा दी गई मजदूरी अथवा वेतन की कुल राशि पर करों तथा पूंजीगत अधिमूल्यन पर करों सहित कुल आय, कुल पूंजी पर अथवा आय के या पूंजी के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय और पूंजी पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन मौजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा, वे विशेष रूप से इस प्रकार हैं:

(1)

- (क) भारत में :
- (i) आयकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई भी अधिभार शामिल है; और
- (ii) धन कर;
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है);
- (ख) इस्त्राइल में:
- (i) आयकर;
- (ii) कंपनी कर;
- (iii) पूंजीगत अभिलाभ कर;
- (iv) भूमि अधिमूल्य कर कानून के अनुसार अचल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाया गया कर; और
- (v) संपत्ति कर कानून के अनुसार वास्तविक संपत्ति पर लगाए कर;
(जिन्हें इसके बाद "इस्त्राइली कर" कहा गया है)।

4. यह अभिसमय किसी समरूप अथवा काफी हद तक समान स्वरूप के करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद विद्यमान करों पर उनके अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाते हैं। संविदाकारी राष्ट्रों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने संबंधित कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "भारत" पद से अभिप्रेत है—भारत का राष्ट्र क्षेत्र तथा इसमें उसके राष्ट्र क्षेत्रीय समुद्र तथा इसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और अन्य कोई भी समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं।
- (ख) "इस्त्राइल" पद से अभिप्रेत है—इस्त्राइल का राष्ट्र, और जब इसका भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किया जाए तब इससे अभिप्रेत है वह राष्ट्र क्षेत्र और राष्ट्र क्षेत्रीय समुद्र जिसके ऊपर यह अपने राष्ट्र की प्रभुता और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और वह महाद्वीपीय जलगठन सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और समुद्र के नीचे की तलहटी और अवमृदा का वह भाग जिसके ऊपर यह अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता है।
- (ग) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राष्ट्रों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है।
- (घ) "कंपनी" पद से कोई ऐसी निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है।
- (ङ) "एक संविदाकारी राष्ट्र" और "दूसरे संविदाकारी राष्ट्र"

पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य अथवा इस्त्राइल राष्ट्र अभिप्रेत है।

- (च) "एक संविदाकारी राष्ट्र का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राष्ट्र का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है।
- (छ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—दोनों में से किसी एक संविदाकारी राष्ट्र के निवासी किसी उद्यम द्वारा परिचालित कोई जलयान अथवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।
- (ज) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है—
- (i) भारत में—केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ii) इस्त्राइल में—वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि।
- (झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है:
- (i) दोनों में से किसी एक संविदाकारी राष्ट्र की राष्ट्रियता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
- (ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राष्ट्र में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो।
- (ञ) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है:
- (i) भारत के मामले में, 1 अप्रैल को शुरू होने वाली बारह मास की अवधि;
- (ii) इस्त्राइल के मामले में, पहली जनवरी को शुरू होने वाली बारह मास की अवधि।
- (ट) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा अनुसार भारतीय कर अथवा इस्त्रायली कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उक्त करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो जिस पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड की द्योतक हो।
2. (क) जहां तक किसी संविदाकारी राष्ट्र द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थ वहीं होगा जो उस राष्ट्र के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।
- (ख) यदि उप-पैराग्राफ (क) के लागू होने के परिणामस्वरूप, किसी संविदाकारी राष्ट्र के कानूनों के तहत किसी पद का अर्थ दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानूनों के तहत उस पद के अर्थ से भिन्न है अथवा यदि ऐसे किसी पद के अर्थ का दोनों में से किसी एक संविदाकारी राष्ट्र के कानूनों के तहत आसानी से निर्धारण नहीं हो सकता हो तो संविदाकारी राष्ट्रों के सक्षम प्राधिकारी उसके एक सर्वसामान्य अर्थ पर सहमत हो सकते हैं।
- (ग) यदि किसी विशेष मामले में इस अभिसमय के लागू होने से दोहरे कराधान की रोकथाम न हो सकती हो क्योंकि संविदाकारी राष्ट्रों के

अंतर्वलिात आय वर्ग के स्रोत के संबंध में भिन्न-भिन्न नियम हैं तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दोहरे कराधान के परिहार के उद्देश्य से उस विशेष मामले में आय के स्रोत के संबंध में करार कर सकते हैं।

अनुच्छेद-4 निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड से वहां पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नलिखित के अनुसार तय की जाएगी:

- उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) घनिष्ठतर हैं;
- यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवासगृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;
- यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
- यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। यदि उस राज्य, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अनुच्छेद-5 स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रबंध का कोई स्थान;
- कोई शाखा;
- कोई कार्यालय;
- कोई कारखाना;
- कोई कार्यशाला; और
- कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुंआ, कोई खदान अथवा

प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान।

3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप स्थायी संस्थापन के अंतर्गत तभी आते हैं जब ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छः मास से अधिक अवधि तक चलते हों।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा:

- उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
- किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
- उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चिन स्थान का रख-रखाव करना;
- उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- केवल उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणाम स्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक प्रकार का हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेन्ट के अलावा कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता है—किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है और उसे किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के नाम पर संविदा सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त है और जिसका वह आदतन प्रयोग करता है तो उक्त उद्यम के लिए उस व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्यकलाप के संबंध में उक्त राज्य में उस उद्यम को स्थायी संस्थापन समझा जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलापों तक सीमित न हों, जिनका यदि किसी कारोबार के निश्चित स्थान से उपयोग किया जाए तो इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अन्तर्गत कारोबार का यह निश्चित स्थान कोई स्थायी संस्थापन बन जाएगा।

6. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों और उद्यम के साथ उनके वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों में किन्हीं शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाता और कोई शर्त नहीं लगाई जाती जो कि स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच में आम सहमति से भिन्न हों।

7. यह तथ्य कि कोई कंपनी जो कि किसी संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे वह किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा हो) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी भी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद-6

अचल संपत्ति से आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उक्त संविदाकारी राज्य के उस कानून के अंतर्गत है, जिसमें विचाराधीन संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के अवसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खमिज भंडार, झोतें और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नावें और वायुयान अचल संपत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल संपत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थयी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस तथ्य की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया

जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर किसी स्थायी संस्थापन को हाने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा रही हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उक्त संविदाकारी राज्य में प्रचलित ऐसी प्रभाजन पद्धति से कर लगाने योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। तथापि अपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धन्तों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभ को वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों और वायुयानों के प्रचालन से होने वाले लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका वह उद्यम निवासी है।

2. "लाभ" पद में, उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित जलयानों और वायुयानों के किराये से प्राप्त की गई आय शामिल होगी। ऐसे पद में, उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित आधानों (ट्रेलरों, नौकाओं और ऐसे आधानों के परिवहन के लिए संबंधित उपस्कर सहित) के इस्तेमाल, रख-रखाव अथवा किराये पर देने से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल होगी यदि ऐसी आय अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों और वायुयानों के प्रचालन से उद्यम को हाने वाले लाभों की आनुबंगिक होगी।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, किसी फूल, संयुक्त व्यवसाय अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेन्सी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त की गई आय या लाभ के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. "जलयानों और वायुयानों का प्रचालन" पद का अर्थ होगा जलयानों और वायुयानों के मालिकों या पट्टाधारकों या अवक्रेताओं द्वारा संचालित जलयानों अथवा वायुयानों द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन का व्यवसाय जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, जलयानों और वायुयानों का यदा-कदा पट्टे पर देना और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई अन्य क्रियाकलाप।

अनुच्छेद-9 सहयोगी उद्यम

1. जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लाभों को सम्मिलित करता है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें इस तरह की होती जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा जहां तक कि उक्त समायोजन को वह दूसरा राज्य उचित समझता है। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10% से अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अधिप्राय शेषयों, "जैयोंसेस" शेषयों अथवा "जैयोंसेस" अधिकारों, खनन शेषयों, फाउंडर्स शेषयों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की

भागीदारिता के ऋण-दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेषयों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है या उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और जिसकी संपत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या 15, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य उक्त कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद-11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी उस राज्य के कानून के अनुसार जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर केवल उस दूसरे राज्य में ही कर लगाया जाएगा यदि निम्न के संबंध में ब्याज अदा किया जाता है:

- (क) एक बाण्ड, ऋण-पत्र अथवा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके राजपैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण का दूसरा इसी तरह का कोई करार;
- (ख) दिया गया, पुनर्वित्तसाधित, गारण्टीकृत या बीमाकृत ऋण, या निम्न द्वारा दिया गया, पुनर्वित्तसाधित, गारण्टीकृत या बीमाकृत कोई क्रेडिट;
- (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक;

(ii) इन्साइल के मामले में, बैंक आफ इन्साइल; अथवा

(iii) अन्य सरकारी एजेंसियां या ऋण देने वाले संस्थान जिन को संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान में विनिर्दिष्ट किया जा सके और जिन पर उनकी सहमति हो सके।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है— प्रत्येक के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक पत्र द्वारा प्रतिभूत हो या नहीं और चाहे इससे ऋण के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार मिले या नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार सम्मिलित हैं। देर से की जाने वाली अदायगी के लिए दण्डिक प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो, ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई निवासी हो। तथापि, जहां, ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और ऐसा ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में

कर लगेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में और उसके कानूनों के अनुसार भी कर लगेगा जिसमें वे उद्भूत हुई हों, किन्तु यदि प्राप्कर्ता रायल्टियों का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए जिसमें चलचित्र प्रक्षेपी फिल्मों, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार का संपत्ति के संबंध में रायल्टियों अदा की जाती हैं, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियां अदा करने की देयता उत्पन्न हुई हो और ऐसी रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टी की रकम उसके प्रयोग, अधिकार अथवा जानकारी जिसके लिए उसकी अदायगी की गई हो, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद-13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस

संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वह उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शदायी किस्म की सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं जिसमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं का प्रावधान भी सम्मिलित है किन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उंस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार, संपत्ति अथवा संविदा के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वे किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की देयता उत्पन्न हुई हो और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो तब तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई रकम उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदा की गई होती तब इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

7. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 6 के उपबंध नीचे उल्लिखित सेवाओं से संबंधित अदायगियों पर लागू नहीं होंगे:

- वे सेवाएं जो सहायक और गौण हों और संपत्ति की बिक्री से अनिवार्य रूप से जुड़ी हों;
- वे सेवाएं जो सहायक और गौण हों और जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों, वायुयानों के परिचालन के संबंध में प्रयुक्त जलयानों, वायुयानों, आधानों अथवा अन्य उपकरणों

को किराए पर देने से संबंधित हों;

- किसी शैक्षिक संस्था में या उसके द्वारा शिक्षण कार्य;
- भुगतान करने वाले या क्रेडिट देने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयोग हेतु की गई सेवाएं; अथवा
- अनुच्छेद-15 में यथापरिभाषित व्यावसायिक सेवाएं।

अनुच्छेद-14

पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों, पर जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिन्में किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जिसका कि उक्त उद्यम निवासी है।

4. ऐसे शेयरों या इसी प्रकार के अधिकारों, जो किसी ऐसी कंपनी में शेयर हों जिसकी परिसंपत्तियां प्रधानतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के रूप में हों, उनके अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किसी ऐसी भागीदारी, न्यास या संपदा जिसकी संपत्ति प्रधानतया किसी संविदाकारी राज्य में स्थित संपत्ति के रूप में हो उसके हित के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर भी उसी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों, अथवा किसी ऐसी कंपनी में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, इसी प्रकार के अधिकारों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, विनिमय अथवा वितरण से प्राप्त अनुलाभों पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित किसी संपत्ति से भिन्न संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी:

(क) यदि उस अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मापी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक हो, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सके, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया, स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकपाल तथा चिकित्सकों, शाल्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्तचिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, और 21 के उपबंधों के रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग न किया जाए। यदि उक्त नियोजन का दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर भी उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयोग किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि:

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है; और

(ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया हो जो दूसरे राज्य का निवासी न हो; और

(ग) पारिश्रमिक जो ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता हो जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा विमान पर प्रयोग किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर भी केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका यह उद्यम एक निवासी है।

अनुच्छेद-17

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर भी उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जाएगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उक्त कार्यकलापों का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें उसके राजनैतिक उपप्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से संभरण किया जाता हो।

4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी जहां किसी मनोरंजनकर्ता या किसी खिलाड़ी द्वारा उसकी इसी हैसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के बारे में आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को न प्राप्त हो बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो उस आय पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा यदि वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे राज्य जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग और स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से संभरित होता हो।

अनुच्छेद-19

पेंशन

1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद-20

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा किए गए पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो:

- (i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें उसे उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-21

प्रोफेसर, अध्यापक एवं विद्यार्थी

1. कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो प्रथमोल्लिखित राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा किसी शिक्षा संस्थान में अध्यापन हेतु उपस्थित है उसके द्वारा शिक्षा अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर, प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा। यह छूट उस तारीख से दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दी जाएगी जिस तारीख को अध्यापन अथवा अनुसंधानकर्ता ने वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा अध्यापन कार्य के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में पहली बार प्रवेश किया हो यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान कार्य अनिश्चित में न होकर मुख्यतः किसी खास व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए हो।

2. (क) किसी विद्यार्थी, अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसके द्वारा अपने रख-रखाव, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई अदायगियों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि उसे भुगतान उक्त राज्य से बाहर के स्रोतों से किए गए हों।

(ख) किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु द्वारा किसी विदेशी वर्ष में प्रथमोल्लिखित राज्य में नियोजन से उक्त राज्य की करों में 3,000 अमरीकी डालर की समकक्ष राशि से अनधिक पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त भुगतानों पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा।

इस पैराग्राफ के लाभ केवल उतनी समयावधि के लिए लागू होंगे जो शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए समुचित रूप से अथवा प्रथा

स्वरूप अपेक्षित हों, किन्तु किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति इस पैराग्राफ के लाभ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में पहली बार पहुँचने की तारीख से लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं प्राप्त कर सकेगा।

अनुच्छेद-22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहाँ-कहाँ वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, लाटरियों, पहली समाधानों, जुड़-दौड़ों सहित दौड़ों, ताशों तथा अन्य किसी भी प्रकार के खेलों से जीती हुई रकमों पर भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जहाँ वे उद्भूत हुई हों।

अनुच्छेद-23

पूँजी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा धारित एवं दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित, अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. चल संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर, जो किसी स्थायी संस्थापन की व्यावसायिक संपत्ति का अंग है और जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे राज्य में धारित है अथवा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के कार्य-निष्पादन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित अचल संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में प्रचलित किए गए जहाजों तथा विमानों और ऐसे जहाजों तथा विमानों के प्रचालन से संबंधित चल संपत्ति द्वारा निरूपित की गई पूँजी केवल उक्त संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका वह उद्यम निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के सभी अन्य तत्वों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-24

दोहरे कराधान को दूर करना

1. इस्राइल से भिन्न किसी देश में अदा किए गए कर को इस्राइली कर में जमा करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित समय-समय पर प्रवृत्त

इस्राइल के कानूनों (जिससे एक पैराग्राफ में निहित सामान्य उपबंध प्रभावित नहीं होगा) की शर्तों कदा अधीन भारत से प्राप्त आय अथवा भारत में स्वामित्व वाली पूंजी के संबंध में अदा किए गए कर को उक्त आय अथवा पूंजी के संबंध में संदेय इस्राइली कर में जमा करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उक्त जमा धनराशि इस्राइली कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो इस्राइली कर के अनुसार भारत के भीतर के स्रोतों से आय अथवा पूंजी, जैसा भी मामला हो, उक्त समूची आय अथवा पूंजी से संबंधित हो।

2. जहां पर भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार इस्राइल में कर लगाया जा सकता है, भारत द्वारा :

- (क) उक्त निवासी की आय पर कर में से इस्राइल में सीधे अथवा कटौती के द्वारा अदा किए गए आयकर की धनराशि के बराबर की धनराशि की कटौती अनुमति दी जाएगी;
- (ख) उक्त निवासी की पूंजी पर कर में से इस्राइल में अदा किए गए पूंजी कर के बराबर की धनराशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

तथापि, दोनों ही मामलों में इस प्रकार की कटौती, उक्त कटौती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आयकर अथवा पूंजीकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो ऐसी आय अथवा पूंजी मानी जाती हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर इस्राइल में कर लगाया जा सकता है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में निवासी कंपनियों के शेरों पर लाभांशों के रूप में आय प्राप्त करता है, वहां पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा संदेय कर में से इस प्रकार के लाभांश की सकल धनराशि के 15 प्रतिशत राशि को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां पर एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्रोत से ब्याज के रूप में आय प्राप्त करता है, वहां पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य द्वारा संदेय कर में से इस प्रकार के ब्याज की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत राशि को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

5. जहां पर इस अभिसमय के किसी भी उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय अथवा रखी गई पूंजी पर उक्त राज्य में कर से छूट प्राप्त है, वहां पर भी ऐसे राज्य द्वारा ऐसे निवासी की शेष आय अथवा पूंजी पर कर की धनराशि की संगणना करते समय छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी की धनराशि को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद-25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जाती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध तम व्यक्तियों पर भी लागू होगा, जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का अर्थ ऐसे किसी स्थायी संस्थापन, जो प्रथमोल्लिखित राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी का है, के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना नहीं लगाया जाएगा, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की इसी प्रकार की किसी कंपनी के लाभों पर लगाये गये कर की दर से अधिक हो और न ही इसका अर्थ इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंध से विपरीत होना लगाया जाएगा।

3. ऐसे मामलों के को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया है। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिये गये कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कराधेय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनकी संविदा प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी के साथ की गई हो।

4. संविदाकारी राज्यों के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधित कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

अनुच्छेद-26

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाइयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इसके अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं हैं तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है और यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह किसी संतोषजनक हल पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल

करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यन्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद-27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों, खासकर ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ कार्यान्तित करने के लिए आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ-1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना।
- (ख) ऐसी सूचना की सफाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है।
- (ग) ऐसी सूचना की सफाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-28

राजनयिक एजेंट तथा कांसुली अधिकारी

इस अभिसमय से, अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत वर्णित राजनयिक एजेंटों या कांसुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद लिखित रूप से और उचित माध्यम से इस अभिसमय को प्रवृत्त करने के लिए एक दूसरे को अधिसूचित करेंगी।

2. यह अभिसमय ऐसी अधिसूचनाओं की परवर्ती अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा और इसके उपबंध निम्नलिखित ढंग से प्रभावी होंगे:

(क) भारत गणराज्य में :

(i) जिस माह में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है, उसके अगले महीने के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई धनराशियों के लिए अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 में क्रमशः यथा-परिभाषित लाभांशों, ब्याज, रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में;

(ii) माह अप्रैल, 1994 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए आय पर कर तथा पूंजी पर करों के संबंध में; तथा

(ख) इन्डोनेशिया राज्य में :

(i) जिस माह में यह अभिसमय प्रवृत्त होता है, उसके अगले महीने के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई धनराशियों के लिए अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 में क्रमशः यथा-परिभाषित लाभांशों, ब्याज, रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में;

(ii) माह जनवरी, 1994 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाली कराधेय अवधियों के लिए आय पर कर तथा पूंजी पर करों के संबंध में।

अनुच्छेद-30

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक प्रवृत्त रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून मास के तीसवें दिन को अथवा उससे पूर्व राजनयिक माध्यमों से समापन की लिखित सूचना दूसरे संविदाकारी राज्य को दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में यह अभिसमय निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) भारत गणराज्य में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उस वर्ष के अगले अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई या क्रेडिट की गई धनराशियों

के लिए अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 में क्रमशः यथापरिभाषित लाभांशों, ब्याज, रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर झोट पर रोके गए करों के संबंध में; तथा

- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है, उस वर्ष के अगले अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय पर कर पूंजी पर और करों के संबंध में; और

(ख) इस्त्राहल राज्य में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है उस वर्ष के अगले जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई या क्रेडिट की गई धनराशियों के लिए अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 में क्रमशः यथापरिभाषित लाभांशों, ब्याज, रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर झोट पर रोके गए करों के संबंध में; तथा

- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन की सूचना दी जाती है, उस वर्ष के अगले जनवरी के माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाली कराधेय अर्थादियों के लिए आय पर कर पूंजी पर करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियाब्बे के जनवरी मास के उन्तीसवें दिन हिन्दी, हिब्रू और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक के दो-दो पाठों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

इस्त्राहल राज्य की सरकार
की ओर से

(मनमोहन सिंह)

वित्त मंत्री

(अब्बाहम शोकट)

वित्त मंत्री

प्रोतोकोल

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और इस्त्राहल राज्य के बीच आज हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता नीचे दिए गए उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।

1. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों में किसी भी बात का अर्थ निरूपण एक संविदाकारी राज्य को ऐसे आंतरिक कानूनों, जिस रूप में वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने के समय विद्यमान हों, के अनुसार उक्त संविदाकारी राज्य के बाहर किसी मुख्यालय के संबंध में किए गए कार्यकारी

तथा प्रशासनिक खर्चों का निर्धारण करने से रोकने के रूप में किया जाएगा। लेकिन यदि एक संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानून में भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तनों से किसी भी तरीके से इस प्रकार के खर्चों को आगे और सीमित करेगा तो दोनों ही संविदाकारी राज्य इस पैराग्राफ में संशोधन करने के प्रयोजनार्थ एक दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे।

2. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के पश्चात् अनुच्छेद 12 और 13 (क्रमशः रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस) के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करेंगे। तथापि, यदि भारत और किसी तीसरे राज्य के बीच निष्पन्न किए गए ऐसे किसी अभिसमय अथवा करार जो दिनांक 1-1-1995 के पश्चात् प्रवृत्त होता है, के अंतर्गत भारत रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा ब्याज अथवा लाभांशों पर झोट पर अपने कराधान को इस अभिसमय में यथा उपबंधित दर अथवा गुंजाइश से और अधिक कम दर अथवा गुंजाइश तक सीमित करता है, जो आय की उक्त मदों पर उक्त अभिसमय अथवा करार में यथा उपबंधित चही दर अथवा गुंजाइश भी इस अभिसमय के अंतर्गत उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख को मौजूदा अभिसमय प्रवृत्त होता है अथवा संगत भारतीय अभिसमय अथवा करार में से, जो भी बाद में प्रवृत्त हो, पर लागू होगी।

3. अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 2 के संबंध में यह समझा जाता है कि यदि भारत द्वारा दिनांक 1-1-1995 के पश्चात् दोहरे कराधान के परिहार के लिए किसी तीसरे राज्य के साथ ऐसा कोई करार अथवा अभिसमय निष्पन्न किया जाता है, जिसके तहत भारत से अन्य किसी राज्य की किसी कंपनी के किसी स्थायी संस्थापन के उद्यमों और भारत के उद्यमों के बीच कर की दरों के अंतर को समाप्त अथवा कम किया गया है तो ऐसी किसी कंपनी, जो इस्त्राहल की निवासी है, के उद्यमों के अनुसार लाभों पर करों की दरों के संबंध में तदनुकूपी कमी की जाएगी।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छियाब्बे के जनवरी मास के उन्तीसवें दिन हिन्दी, हिब्रू और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक के दो-दो पाठों में निष्पन्न किया गया तथा तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

इस्त्राहल राज्य की सरकार
की ओर से

(मनमोहन सिंह)

वित्त मंत्री

(अब्बाहम शोकट)

वित्त मंत्री

[अधिसूचना सं 10134/फा. सं. 503/5/92-एफ. टी. डी.]

एन. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1996

INCOME-TAX

G.S.R. 256(E).—Whereas the annexed convention between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has entered into force on the 15th May, 1996, after the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with Article 29 of the said Convention.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and Section 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

**ANNEXURE
CONVENTION
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE STATE OF ISRAEL**

**FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND
FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL**

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,
have agreed as follows :

**ARTICLE 1
PERSONAL SCOPE**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. This convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities and to taxes on capital imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation on movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :

- (a) In India :
 - (i) the income tax, including any surcharge thereon ; and
 - (ii) the wealth tax,
(hereinafter referred to as "Indian tax") ;
- (b) In Israel :
 - (i) the income tax ;
 - (ii) the company tax ;
 - (iii) the capital gains tax ;
 - (iv) the tax imposed upon gains from the alienation of immovable property according to the Land Appreciation Tax Law ; and
 - (v) taxes imposed on real property according to the Property Tax Law,
(hereinafter referred to as "Israeli tax")

4. The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea ;
- (b) the term "Israel" means the State of Israel, and when used in a geographical sense, means the territory and the territorial sea over which it exercises its state sovereignty and jurisdiction, as well as the continental shelf, the exclusive economic zone and that part of the seabed and subsoil under the sea over which it exercises sovereign rights according to the international law ;
- (c) the term "person" includes an individual, a company, a body of person and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective contracting States ;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes ;
- (e) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the State of Israel as the context requires ;
- (f) the terms "enterprise of a contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried

- on by a resident of the other contracting State ;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State ;
- (h) the term "competent authority" means :
- (i) in India : the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative ;
- (ii) in Israel : the Minister of Finance or his authorised representative.
- (i) the term "national" means :
- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State ;
- (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
- (j) the term "fiscal year" means :
- (i) in the case of India, the twelve-month period beginning on the 1st of April ;
- (ii) in the case of Israel, the twelve-month period beginning on the 1st of January ;
- (k) the term "tax" means Indian tax or Israeli tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.
2. (a) As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.
- (b) If as a result of the application of sub-paragraph (a), the meaning of a term under the laws of a Contracting State is different from the meaning of that term under the laws of the other contracting State, or if the meaning of such term is not readily determinable under the laws of one of the contracting States, the competent authorities of the Contracting States may agree upon a common meaning of that term.
- (c) If, in a particular case, the application of the Convention fails to prevent double taxation because the Contracting States have differing rules with respect to the source of the category of income involved, the competent authorities of the Contracting States may reach agreement as to the source of income in the particular case so as to eliminate double taxation.

ARTICLE 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under

the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him ; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

ARTICLE 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site of construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project of activity last more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of stor-

- age, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery ;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise ;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character ;
 - (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraph (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting state an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business, and in their commercial and financial relations with the enterprise no conditions are agreed or imposed which differ from those usually agreed between independent persons.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State

in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources ;ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personnel services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary ; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships and aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

2. The term "profits" shall include income derived by the enterprise from the rental of ships and aircraft operated in international traffic. Such term shall also include income derived by the enterprise from the use, maintenance of rental of containers operated in international traffic (including trailers, barges and related equipment for the transport of such containers) if such income is incidental to the profits of the enterprise from the operation of ships and aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income or profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The term "operation of ships and aircraft" shall mean business of transportation by ships or air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or characters of ships and aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ships and aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

ARTICLE 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where,

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included

are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims. Participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State, if the interest is paid in respect of :—

- (a) a bond, debenture or other similar obligation of the Government of the first-mentioned Contracting State or a political subdivision or local authority thereof; or
- (b) a loan made, refinanced, guaranteed or insured, or a credit extended, refinanced, guaranteed or insured by—
 - (i) in the case of India, the Reserve Bank of India,
 - (ii) in the case of Israel, the Bank of Israel, or
 - (iii) other Governmental agencies or lending institutions as may be specified and agreed in an exchange of notes between the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2, and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in

the contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each contracting State, due regard being had to the other provisions of this convention.

ARTICLE 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personnel services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the state in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid,

exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this convention.

ARTICLE 13 FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services by technical or other personnel, but does not include payments for services mentioned in Article 16 of this Convention.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personnel services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the services are rendered in that State and the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment of a fixed base in connection with which the liability to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable

according to the laws of each contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. The provisions of paragraph 1 to 6 of this article shall not apply to payments relating to services mentioned herein below :

- (i) Services that are ancillary and subsidiary, and inextricably and essentially linked, to a sale of property ;
- (ii) Services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic ;
- (iii) Teaching in or by an educational institution ;
- (iv) Services for the personnel use of the individual or individuals making the payments ; or
- (v) Professional services as defined in Article 15.

ARTICLE 14 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personnel services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. Gains from the alienation of shares or similar rights being shares in a company, the assets of which consist principally of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State. Gains from the alienation of an interest in a partnership, trust or estate, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may also be taxed in that State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the sale, exchange or other disposition, directly or indirectly, of shares other than those mentioned in paragraph 4, or similar rights in a company which is a resident of the other Contracting state may also be taxed in that other State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraph 1 through 5, shall be taxable only in the contracting state of which the alienator is a resident.

ARTICLE 15 INDEPENDENT PERSONNEL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an

independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities ; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State ; or
- (b) if his stay in the other State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned ; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

DEPENDENT PERSONNEL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may also be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment of a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic may also be taxed in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

ARTICLE 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 18

ARTISTES' AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provision of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or a sportsperson who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

ARTICLE 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

ARTICLE 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :
 - (i) is a national of that State ; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

- (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 21

PROFESSORS, TEACHERS AND STUDENTS

1. Remuneration received for education or scientific research by an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for the purpose of scientific research or for teaching at an educational institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State. This exemption shall be granted for a period that shall not exceed two years from the date on which the teacher or researcher first entered the first-mentioned State for the purpose of engaging in scientific research or for teaching. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

2. (a) Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
- (b) Payments which a student or business apprentice receives as remuneration from employment in the first-mentioned State, in an amount not exceeding a sum equivalent to 3,000 U.S. dollars in the currency of the first-mentioned State during any fiscal year shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

The benefit of this paragraph shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this paragraph for more than three consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State.

ARTICLE 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situ-

ated therein, and the right of property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any form or nature whatsoever may also be taxed in the Contracting State where they arise.

ARTICLE 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may also be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Subject to the laws of Israel from time to time in force regarding the allowance as a credit against Israeli tax of tax paid in any country other than Israel (which shall not affect the general provision contained in this paragraph), Indian tax paid in respect of income derived from or capital owned in India shall be allowed as a credit against Israeli tax payable in respect of that income or capital. The credit shall not, however, exceed that portion of Israeli tax which the income or capital from sources within India bears to the entire income or capital, as the case may be, subject to Israeli tax.

2. Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this convention, may be taxed in Israel, India shall allow:

- (a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Israel, whether directly or by deduction.
- (b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Israel.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed

in Israel.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, where a resident of a Contracting State derives income by way of dividends on shares of companies resident in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow credit of 15 per cent of the gross amount of such dividend from the tax payable.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, where a resident of a Contracting State derives income by way of interest from any source in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow a credit of 10 per cent of the gross amount of such interest from the tax payable.

5. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

ARTICLE 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one of both or the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provision of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprises of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of

which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

ARTICLE 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this convention, he, may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 27

EXCHANGE OF INFORMATION

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and admin-

istrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

ARTICLE 28

DIPLMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting State shall notify the other Contracting State in writing, through diplomatic channels, upon the completion of their respective legal procedures to bring this Convention into force.

2. The Convention shall enter into force on the date of the latter of such notifications and its provisions shall have effect :

- (a) in the Republic of India :
 - (i) in respect of taxes withheld at source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, as defined in Articles 10, 11, 12 and 13, respectively, for amounts paid or credited on or after the first day of the month next following that in which the Convention enters into force ;
 - (ii) in respect of taxes on income, and taxes on capital, for fiscal years beginning on or after the first day of April 1994 ; and
- (b) in the State of Israel :
 - (i) in respect of taxes withheld and source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, as defined in Articles 10, 11, 12 and 13, respectively, for amounts paid or credited on or after the first day of the month next following that in which the Convention

enters into force ;

- (ii) in respect of taxes on income, and taxes on capital, for taxable periods beginning on or after the first day of January 1994.

ARTICLE 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of the entry into force of the Convention, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect :

- (a) in the Republic of India :
 - (i) in respect of taxes withheld at source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, as defined in Articles 10, 11, 12, and 13, respectively, for amounts paid or credited on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given ; and
 - (ii) in respect of taxes on income, and taxes on capital, of fiscal years beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given ; and
- (b) in the State of Israel :
 - (i) in respect of taxes withheld at source on dividends, interest, royalties and fees for technical services, as defined in Articles 10, 11, 12 and 13, respectively, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given ; and
 - (ii) in respect of taxes on income, and taxes on capital, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised hereto, have signed this Convention.

Done at New Delhi on 29th January, 1996 in two original copies, each in the Hindi, Hebrew and English languages, all the texts being equally authentic. In the case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of
The Republic of India**

MANMOHAN SINGH

MINISTER OF FINANCE

**For the Government of
The State of Israel**

A. SHOCHAT

MINISTER OF FINANCE

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Republic of India and the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation and for the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Convention.

1. Nothing in the provisions of paragraph 3 of Article 7 shall be interpreted as precluding a Contracting State from determining executing and administrative expenses of a head office incurred outside that Contracting State according to the provisions of internal laws as they exist at the time of the signing of this Convention. However, should future changes in the domestic law of a Contracting State further restrict the deduction of such expenses in any manner, then the two Contracting States shall consult each other for purposes of amending this paragraph.

2. The competent authorities of the Contracting States shall initiate the proper procedure to review the provisions of Article 12 and 13 (Royalties and fees for technical services respectively) after a period of five years from the date of entry into force of this Convention. However, if under any convention of Agreement between India and any third State which enters into force after 1-1-1995, India limits its taxation at source or Royalties of Fees for Technical Services or Interest or Dividends to a rate lower or a scope more restricted than the rate of scope provided for in this Convention, the same rate or scope as provided for in that Convention or Agreement on the said items of income shall also apply under this Convention with effect from the date on

which the present Convention comes into force or the relevant Indian Convention of Agreement, whichever enters into force later.

3. In respect of paragraph 2 of Article 25, it is understood that if India enters into an Agreement or Convention for the avoidance of double taxation with a third State after 1-1-1995, whereby the difference in the rates of tax between enterprises of a permanent establishment of a company of a country other than India and that of India is removed or reduced, then, a corresponding reduction shall be effected in respect of rates of taxes on profits according to the enterprises of a company which is a resident of Israel.

In witness whereof the undersigned, duly authorised hereto, have signed this Protocol.

Done at New Delhi on 29th January, 1996 in two original copies, each in the Hindi, Hebrew and English languages, all the texts being equally authentic. In the case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of
The Republic of India**

MANMOHAN SINGH
MINISTER OF FINANCE

**For the Government of
The State of Israel**

A. SHOCHAT
MINISTER OF FINANCE

[Notification No. 10134/F. No. 503/5/92-FTD]

N.P. SAHNI, Jt. Secy.

